न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 70/2011 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. सावित्री देवी पत्नी रोशनलाल
2. महेशचन्द पुत्र रोशनलाल
3. मुरारीलाल पुत्र रोशनलाल
4. प्रेमवती पत्नी जगदीश
5. मनोज पुत्र जगदीश
6. बबीता पुत्री जगदीश

जाति ब्राहम्ण नि0 चौवे का नगला हाल निवास सारस चौराहे के पास विजय नगर कालौनी, भरतपुर।

7. शीला देवी पुत्री रोशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गोवरा तहसील किरावली (उ0प्र0)

.....अपीलांट।

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री रतनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जसवन्त नगर टी0वी0 हास्पीटल के सामने भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
2. सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर, उच्चैन दि0 04.07.2011 प्र.सं. 38/08(163/09) उनवान बाबूलाल बनाम सावित्री देवी।

अभिभाषक :—

1. वकील अपीलाट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित ।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री तालेराम उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :— 21.03.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादी बाबूलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में रैस्पो0/वादी 3/4 हिस्से के एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। रैस्पो0/वादी के भाई शंकर व मॉ चिरौंजा ने रैस्पो0/वादी के हक अपनी चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत कर दी थी। विवादित आराजी के कुल रकबा 06 बीघा 08 विस्वा में से 01 बीघा 10 विस्वा जमीन नत्थी गूजर के लडका यादराम के पैदा होने पर उसकी खुशी में नत्थी ने रैस्पो0/वादी के पिता रतनलाल को पुरोहिताई में दी थी। विवादित आराजी को पहले पिता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रतनलाल काश्त करते थे, उनके बाद रैस्पो0/वादी एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के पिता रोशनलाल काश्त करते चले आ रहे हैं। किन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से विवादित आराजी रोशनलाल (अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष) के नाम आ गई एवं रोशनलाल की मृत्यु के बाद अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के नाम आ गई। उक्त गलत इन्द्राजों के आधार पर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण आये दिन विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने की धमकी देते हैं। अतः दावा पेश कर, विवादित आराजी के 3/4 भाग में रैस्पो0/वादी को एवं 1/4 भाग का अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं अपीलाण्ट/ प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर सिद्ध तथ्यों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय यानी दिनांक 15.10.1955 को अपीलाण्ट के पूर्वज रोशनलाल के नाम वहैसीयत गैर मौरूसी कूपक दर्ज एवं काबिज आराजी है। अतः उन्हें धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं एवं उनके मरणोपरान्त विवादित आराजी अपीलाण्ट ने उत्तराधिकार में प्राप्त की है। राजस्व अभिलेख में रैस्पों0 के नाम किसी भी हैसीयत से कभी भी दर्ज नहीं रहे हैं एवं ना ही उनके द्वारा कोई वसीयत ही की गयी है। कथित वसीयत कूट रचित एवं बनावटी दस्तावेज है एवं उक्त वसीयत में विवादित भूमि अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के रैस्पो0 का हक मानकर रैस्पो0/वादी को 3/4 हिस्से का नाजायज रूप से खातेदार काश्तकार मानकर खण्डाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने तर्कों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, मात्र मौखिक साक्ष्य से कोई खातेदारी अधिकारों का सृजन नहीं होता। 30 वर्ष पुराने प्रलेख के साथ धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सत्यता का प्रमाण होता है। जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 में ''रोशन बलद रतन'' खाता संख्या 77 में विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार दर्ज है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि अपीलाण्ट के उक्त पूर्व पुरूष रोशन का विवादित आराजी पर कभी खातेदारी नहीं रही, कतई गलत है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1992 पेज 114, 1987 पेज 202, 1976 पेज 317, डी0एन0जे0 2009(एस0सी0)(1) पेज 1 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2011 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपनी जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दावा एवं जवाव दावे के आधार पर तनकियात कायम की जाकर, प्रत्येक तनकी पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। रैस्पो0 के पिता रतन विवादित आराजी खसरा नम्बर 563 के खातेदार नत्थी गूजर के पुरोहित थे एवं जब नत्थी के लडका यादराम पैदा हुआ तो उसके पैदा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने की खुशी में विवादित आराजी खसरा नम्बर 563 में से 01 बीघा 10 विस्वा जमीन रैस्पो0 के पिता रतनलाल के लिये पुरोहिताई में दान दी थी, जिसका इन्द्राज संवत 2004 के खसरा में मौजूद है, तभी से रैस्पो0 के पिता रतनलाल उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् रैस्पो0 का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रकरण में विवादित आराजी बाबत् जो विवाद है, उभयपक्ष एक ही कथन करते हैं कि विवादित आराजी उन्हें नत्थी ने अपने पुत्र यादराम के जन्म की खुशी में पुरोहिताई में दान दी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित 5 तनकियॉ निर्धारित की है। जिनमें तनकी संख्या 01 लगायत 03 वादी के जिम्में व तनकी संख्या 4 प्रतिवादी के जिम्मे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 व 02 को तय करने हेतु मुख्यतः निर्वाचक नामावली का आधार लिया है। परन्तु निर्वाचक नामावली किसी व्यक्ति के जन्म दिनांक अथवा आयु को प्रमाणित करने के लिए निर्णायक दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 व 02 के निष्कर्ष अनुमान व अटकल के आधार पर निकाले हैं। लिहाजा उक्त दोनों तनकियों के निष्कर्ष, अतिरिक्त साक्ष्य विवेचना के मोहताज हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट रिमाण्ड किया जाना वांछनीय पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2011 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.04.2018 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर